सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 11, गुरूवार, *शाके* 1945-जून 01, 2023
Jyaistha 11, Thursday , Saka 1945- June 01, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मई 17, 2023

संख्या प. 2 (19) वन/2022 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उनके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा अथवा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार के लेखबद्ध नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें ले लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर/ असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है, तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्ष्य उसी प्रणाली से किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनु सूची में अंकित किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा

किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उनसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
शिखर अग्रवाल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)

क्र. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं॰	रकबा (बीघा - बिस्वा में)	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	रेह	करेडा	भीलवाडा	उत्तर- सरहद ग्राम अजीतपुरा	रेह	1395/1	118-00	29.8455
				पूर्व- आराजी नं॰ 143				
				पश्चिम - सरहद ग्राम करेडा				
				दक्षिण- आराजी नं॰ 2				
				वनखंड का योग		किता- 1	118-00	29.8455

क्षैत्रीय वन अधिकारी
भीलवाडा (राज.)

(डी॰पी॰ जागावत)
उप वन संरक्षक
भीलवाडा

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

क्र.सं.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी नाम
1	Propopis Juliflora	विलायती बबूल
2	Acacia nilotica	देशी बबूल
3	Azadirachta indica	नीम
4	Dalbergia sissoo, Roxb	शीशम

क्षैत्रीय वन अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)

डी॰पी॰ जागावत,
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा।

प्रमाण-पत्र

वनखण्ड - रेह

रेंज - भीलवाडा

वन मंडल - भीलवाडा

1 संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण कमशः गैर मुमकिन है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।

2 वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य करवाया गया है। इसमें वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। खनन् कार्य नहीं हो रहा है।

3 प्रस्तावित वन क्षैत्र में समस्त क्षैत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन है, जिस पर वृक्षारोपण स्थापित किया गया है एवं क्षैत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमलदरामद है।

4 प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.10 से 0.20 तक है एवं इन क्षैत्रों में मुख्य रोंझ, देशी बबूल, झड़बेरी एवं मिश्रित प्रजातियों के पेड़ एवं झाड़ियां है।

5 प्रस्तावित क्षैत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमियां वन सीमाओं से पृथक है एवं इसमें प्रस्तावित वन क्षैत्रों के संरक्षण में कोई अवरोध नहीं होगा। विभागाधीन भूमियों का विकास कार्यों में उपयोग हो रहा है।

6 वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है, एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।

7 प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथाविधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है, किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रो के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमो के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है।

8 इस वनभूमि का पूर्व में राजपत्र मे प्रकाशन नही हुआ है।

क्षैत्रीय वन अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)

डी॰पी॰ जागावत,
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।